अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या–................ 28........................सन् 2015–16

केश का प्रकार ....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार– मनोज कुमार राय वगैरह प्रतिपक्षीः– सुशील राय वगैरह

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	आवेदक का नाम/पताः–1–मनोज कुमार राय पे. स्व0 मोहित राय 2–उमेश राय पे0सुर्य राय, मौजा–दहीवत माधोपुर, पण्डौल प्रतिपक्षीगणः– 1–सुनील राय 2–अनिल राय 3–सुशील राय पेसरान स्व0बंदो राय 4–मसोमात अनहैया देवी जौजे स्व0बंदो देवी मौजे–दहिवत माधोपुर, पंडौल...................प्रतिपक्षीगण।	
01.02.2018	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक ने अंचल अधिकारी, पण्डौल के दाखिल खारिज वाद अभिलेख संख्या–666/2014–15 आवेदक बंदो राय से संबंधित अभिलेख मंगाकर पक्षकारों को सुनवाई कर प्रश्नगत दाखिल खारिज को निरस्त कर जयपाल राय के नाम से चल रहे जमाबंदी संख्या–198 के अंतर्गत सम्पूर्ण भूमि का रसीद काटने का आदेश अंचल को देने का अनुरोध किया। प्रतिपक्षी को नोटिस देकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु प्रतिपक्षी की ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। मात्र आवेदक की ओर से इस वाद में पैरवी दी जा रही है। आवेदक का आवेदन अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश को निरस्त करने से संबंधित है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कर उचित निर्णय लेने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय सक्षम है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आवेदक यदि चाहें तो सक्षम पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पण्डौल को उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराने हेतु सूचनार्थ भेजें। लेखापित 01/2/18 अपर समाहर्ता, मधुबनी। 01/2/18 अपर समाहर्ता, मधुबनी।	